कार्यालय नगर पंचायत बोदरी जिला – बिलासपुर (छ0ग0)

E-Mail ID-cmobodri@rediffmail.com
Phone- 07752&275329

क्रमांक / 1240 / कालोनी / लोनि. / न.पं. / 2021–22 बोदरी, दिनांक 16/12/2021

प्रारूप –नौ

(नियम 11 देखिए)

कालोनी के विकास की अनुमति

छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 और उसके अंतर्गत निर्मित छ0ग0 नगरपालिका (कालोनाईजर) का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्ते) नियम, 2013 के अधीन निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन रहते हुए **मेसर्स गीतांजली इन्फ्रा एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसेस द्वारा श्री पी.आर. साहू एवं श्री देवेन्द्र कांत साहू निवासी गीतांजली विहार फेस–02, नर्मदा नगर, जिला– बिलासपुर (छ0ग0)** को निकाय क्षेत्रांतर्गत स्थित भूमि स्वामित्व के अधीन भूमि खसरा नं. 15000 (550/1, 550/2, 572/2, 551/2, 552, 560, 553, 572/1, 572/20, 572/27) रकबा 2.484 हे0 में से भू–खण्ड भूमि खसरा नंबर 15000 (550/1, 550/2, 572/2, 551/2, 552, 560, 553, 572/1, 572/20, 572/27) में से रकबा प्लॉट नंबर **11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 60, L-98, L-99, L-100, L-101, 107 (16 नग)** को बंधक रखते हुए कालोनी विकास प्रारंभ करने की निम्नांकित शर्तो के तहत अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. शहरी भूमि सीमा अधिनियम 1976 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित शर्तो का पालन करना होगा।
2. छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत भू–व्यपवर्तन की शर्तो का पालन करना होगा।
3. छत्तीसगढ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत प्राप्त विकास अनुज्ञा की शर्तो का पालन करना होगा।
4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये भूखंडों/भवनो का विकास/निर्माण प्रथमतः करना होगा।
5. संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बिलासपुर द्वारा विकास अनुज्ञा पत्र क्र./3717/न.ग्रा.नि./प्र.क्र. –03/सी.जी. आ. 00068/धारा 29/21 बिलासपुर, दिनांक 03.09.2021 में उल्लेखित 25 शर्तो के अधीन।
6. कालोनी विकास पूर्ण करने के पश्चात् समस्त जानकारी सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
7. बंधक भूमि को मुक्त किये जाने के पश्चात् ही निर्माण एवं विक्रय करने का अधिकार रहेगा।
8. अनुमोदित नक्शा जिसमें ई.डब्ल्यू.एस. एवं बंधक प्लाट्स प्रदर्शित है स्थल के बाहर दृष्टिगोचर स्थान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
9. दैनिक समाचार पत्र में ई.डब्ल्यू.एस प्लाटस एवं बंधक प्लाट्स का प्रकाशन कर 15 दिवस के भीतर करके कार्यालय में देवें।
10. पूर्णता प्रमाण पत्र की प्राप्ति के 03 माह के भीतर अथवा 50 प्रतिशत आवासीय इकाईयों के विक्रय हो जाने पर जो भी पहले हो, रहवासी कल्याण संघ का गठन करना होगा।
11. रहवासी कल्याण संघ का गठन होने के ऐसे समय तक कालोनी के रख–रखाव का दायित्व कालोनाईजर का होगा।

P.T.O.

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत बोदरी

Scanned with CamScanner

12. कालोनाईजर को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी सभी प्रकार के अपशिष्ट जिसमें शामिल हैं, किन्तु जो इन तक सीमित नहीं हैं, यथा ठोस अपशिष्ट, निर्माण तथा तोड़फोड अपशिष्ट, संकटमय अपशिष्ट आदि से संबंधित सभी सुसंगत नियम तथा उप–विधि का पूर्ण पालन हो तथा वह नगरपालिका द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित उपभोक्ता शुल्क का भुगतान करने हेतु उत्तदायी होगा।

13. यह अनुज्ञा इस आधार पर दी जाती है कि आवेदित भूमि आवेदक के पूर्ण स्वामित्व एवं आधिपत्य में है। स्वामित्व संबंधी विवाद के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। सारभूत तथ्य के संबंध में कोई असत्यता पाये जाने पर यह अनुज्ञा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

14. छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2013 एवं समय–समय पर संशोधित के नियम शर्तो अनुसार बाह्य विकास कार्य पूर्ण करना होगा।

15. निम्न आय वर्ग (एलआईजी) हेतु आरक्षित 10 प्रतिशत प्रस्तावित भू–खण्डों का प्लॉट नंबर **L61, 80, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 110** कुल 16 नग मान्य किया जाता हैं।

16. नियम 12(1) के अनुसार बंधक किये जाने वाले प्रस्तावित भू–खण्डों का प्लॉट नंबर **11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 60, L-98, L-99, L-100, L-101, 107** कुल 16 नग निकाय में प्लॉट बंधक रहेंगे।

17. रेरा से सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने का दायित्व आवेदक का रहेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत बोदरी

बोदरी, दिनांक 16/12/2021

पृष्ठा क्र./1241/कालोनी/लोनि./न.पं./2021–22

प्रतिलिपिः–

1. अनुविभागीय अधिकारी (रा) बिल्हा को सादर प्रेषित।
2. जिला पंजीयक बिलासपुर एवं उप जिला पंजीयक बिल्हा को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत बोदरी

Scanned with CamScanner